न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
005/2021	**11.01.2021**	**10.02.2021**

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. हेमेन्द्र कुमार झंवर पुत्र रमेश चन्द झंवर (विक्रेता/एफ.बी.ओ.)फर्म/मैसर्स श्री राम इंजन पार्ट्स एवं किराणा स्टोर, लाल बाई फूलबाई चौक बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ राज0। स्थाई निवास : क्रय विक्रय के पास चित्तौड़ रोड बैगूं जिला चितौडगढ (राज.)। पिनकोड–312023
2. अभय कुमार जैन पुत्र श्री भंवरलाल जैन (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स पारस जनरल स्टोर, कटला चौक सदर बाजार बैंगू जिला चित्तौडगढ राज0। स्थायी निवासः–ब्राह्मणों की हाथाई बैंगूं जिला चित्तौडगढ राज0।
3. संजय गांधी पुत्र बृजलाल गांधी नॉमिनी मैसर्स हरियाणा मिल्क फूड्स (जयपुर) जी–26, ग्राउण्ड फ्लोर, सिटी सेन्टर संसार चन्द्र रोड, जयपुर राज0। निवासीः–1255 यूनिवर्सल एनक्लेव, सेक्टर–48 बी, चण्डीगढ। पिनकोड–160047
4. मैसर्स हरियाणा मिल्क फूड्स (जयपुर) जी–26. ग्राउण्ड फ्लोर, सिटी सेन्टर संसार चन्द्र रोड.जयपुर राज. पिनकोड–302001

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गूजर दिनांक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे है, एंव इनका गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमांक 53 पर अंकित है, जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए इनको अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेषक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/818/21.10.2020 के अनुसार विशेष अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अभियान दिनांक 26.10.2020 से 14.11.2020 तक आयोजित करने के सम्बन्ध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:00 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौडगढ आवंटित किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2020 को समय 1.02 पी.एम पर कस्बा बैगूं जिला चित्तौडगढ (राज.) पर जिला कलेक्टर द्वारा गठित संयुक्त जॉच दल के साथ मैसर्स श्री राम इंजन पार्ट्स एवं किराणा स्टोर, लाल बाई फूल बाई चौक बैगूं जिला चित्तौडगढ़ पर पहुंचे। वहॉ पर श्री हेमेन्द्र झंवर उपस्थित मिला को परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री हेमेन्द्र झंवर ने स्वंय को मैसर्स श्री राम इंजन पार्ट्स एवं किराणा स्टोर, लाल बाई फूल बाई चौक बैगूं जिला चित्तौडगढ (राज.) का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र बताया जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा व चयनशुदा 900 ग्राम के 1 नग सील्ड पैक कुल मात्रा 900 ग्राम घी मधु ब्राण्ड (**Ghee Madhu Brand**) को श्री हेमेन्द्र झंवर एवं गवाहान को दिखाकर उक्त को 900 ग्राम मूल पैक को खोलकर कर चार अलग–अलग साफ व सूखे कॉच की शिशियों में बराबर 225–225 ग्राम में भरकर शिशियों, के ढक्कन को एयरटाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाध पदार्थ का नाम तथा डी.ओं. के कोड एवं क्रमांक **AM-1227** एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं क्रय किये गये घी के रेपर की पाँच छायाप्रति करवाकर प्रत्येक लेबल व रेपर पर विक्रेता श्री हेमेन्द्र तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भारों के साथ चार पेपर रखकर नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. चित्तौडगढ की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. **AM-1227** नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे हेमेन्द्र झंवर ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये मोके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर घी मधु ब्राण्ड (**Ghee Madhu Brand**) का नमूना क्रय करते समय हेमेन्द्र झंवर पुत्र रमेश चन्द्र झंवर विकता/मैनेजर श्री राम इंजन पार्ट्स एवं किराणा स्टोर, लालबाई फूलबाई चौक बैंगु ने मैसर्स पारस जनरल स्टोर, कटला चौक सदर बाजार बैंगू जिला चित्तौडगढ (राज्य) में मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स पारस जनरल स्टोर, कटला चौक सदर बाजार बेंगूॅ का खरीद बिल/इन्वॉइस नं0 3261 दिनांक 30.09.2020 प्रस्तुत कर खाद्यपदार्थ घी मधु ब्राण्ड (**Ghee Madhu Brand**) क्रय करना बताया है। जिसकी छायाप्रति न्याय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:00 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ को नमूना का एक तैयार शुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ को जमा करवाने हेतु तैयार किये एवं डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़ को जमा करवाया एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ ने श्री रोशनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. चित्तौडगढ को दिनांक 31.10.2020 को खाद्य–विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जना कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष 2 भाग व चौथा भाग डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ को दिनांक 31.10.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वांरटी फर्म पारस जनरल स्टोर, कटला चौक सदर बाजार बैंगू जिला चित्तौडगड को फॉर्म नं. 5 ए की सूचना पत्र कमांक 429 दिनांक 25.11.2020 को दी गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4565 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाध विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल0एस0/230/एक्ट/2020/239 दिनांक 01.11.2020 के अनुसार एफ.बी.ओ. हेमेन्द्र झंवर से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया। घी मधु ब्राण्ड (**Ghee Madhu Brand**) एफ.एस.एस.ए. की धारा एफ.एस.एस.ए.की धारा **3(i)(zf)(A)(i)(a)(C)(i)** का उल्लघंन करने के कारण मिथ्याछाप(**Mis-Branded**) स्तर का होना पाया गया। जिसकी जांच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं, जिसकी सूचना हेमेन्द्र झंवर पुत्र रमेश चन्द्र झंवर विक्रेता/मेनेजर मैसर्स श्री राम इंजन पार्ट्स एवं किराणा स्टोर, लालबाई फूलबाई चौक, बैंगु जिला चित्तौड़गढ व प्रंबधक मैसर्स पारस किरणा एवं जनरल स्टोर, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी थी, जिसकी रजिस्ट्री रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वारन्टी होने के कारण मैसर्स पारस किराणा एवं जनरल स्टोर, बेगूं बेगं जिला चित्तौड़गढ को पत्र क्रमांक/एफएसएसए/ 2020/429 दिनांक 25.11.2020 के प्रतिउत्तर में उक्त फर्म से सम्बन्धित चाहे गये दस्तावेज तथा मैसर्स हरियाणा मिल्क फूड लिमिटेड, जयुपर के इनवाइस नम्बर 4[illegible] दिनांक 24.08.2020 की छायाप्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:00 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत की, प्रेषित दस्तावेज न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। वारन्टी एवं निर्माता फर्म मैसर्स हरियाणा मिल्क फूड लिमिटेड जी/26. ग्राउन्ड फ्लोर सिटी सेन्टर संसारचन्द्र रोड़, जयुपर को पत्र क्रमांक 470 दिनांक 17.12.2020 प्रेषित कर फर्म से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने फर्म का नोमिनेशन लेटर, खाद्य अनुज्ञा पत्र व नोमिनी ईडी, जीएसटी की प्रति पत्र कमांक 439 दिनांक 22.12.2020 के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रस्तुत जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा प्रकरण से सम्बधित अनुसंधान पूर्ण होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ़ के समक्ष न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति चाहने बाबत दिनांक 04.01.2021 को पत्रावली प्रस्तुत की, अभिहित अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 36 की उप धारा 3(ङ) के तहत समस्त पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए/2021/50 दिनांक 05.01.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण में अंकित अभियुक्तों के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष पेश/प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है। अतः में आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि घी मधु ब्राण्ड (**Ghee Madhu Brand**) को व मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का बनाकर विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (**ii**) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 10.02.2021 को अप्रार्थीगण हाजिर आये। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माता नहीं होकर केवल मात्र विक्रेता है, जो कि निर्माता से पैक्ड खाद्य पदार्थ क्रय कर विक्रय करते है। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की खाद्य पदार्थ के मिसब्राण्ड पाये जाने पर कोई जवाबदेहिता नहीं होती है, क्योंकि उक्त खाद्य पदार्थ के अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 निर्माता नहीं है अतः जवाब कार्यवाही प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावें। अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 की और से अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं हाजिर आये एवं अप्रार्थी संख्या 4 का अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि **That the impugned sample of "Madhu" Desi Ghee drawn by the Food Safety Officer, Chittorgarh on 31.10.2020 from the premises of Hamender Kumar , FBO Ms.Shri Ram Engine Parts & Karyana Store, Begun , Dist. Chittorgarh is within the parameters and sample is pass and there is no complaint of any kind regarding quality. That there was only calculation of nutrition value per 100 g which has been observed observed 93g, as ag[illegible]st 9[illegible]g. as given on the pack. It has been**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:00 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

corrected/rectified. This is only calculation error and the product is not misbranded as alleged in the complaint. Since the nutritional value has been rectified it is therefore, prayed that the complaint may please be decided accordingly. जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली है।

पक्षकारान द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर हमने पक्षकारान को सुना। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और निवेदन किया कि विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को दोष मुक्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विपक्षीगण ने अपने कथन समाप्त कियें। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को घी मधु ब्राण्ड (**Ghee Madhu Brand**) का नमूना लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि नमूना खरीद बिल से होती हैं, उस पर गवाहान की शहादत हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द का अवलोकन किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1227** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT -.

(i) Sample description:. The sample packed in wide mouth glass jar taken from 1 Litre pack.

(ii) Physical appearance:- Whitish viscous paste in appearance, pleasant smell.

(iii) Label :-- Brand- Madhu, Name of food- Desi Ghee, Mfg. by- Haryana Milk Foods Ltd., Kaithal Road, Pehowa-136128, Kurukshetra, Haryana, Pkd. on.- AUG.2020, Batch No.- 193, Best before 9 Months from Manufacture, Nutritional Information- Given on label but total SFA(58g)+PUFA(2g)+MUFA(28g)+TFA(5g)=93gm, does not meet to Total milk fat- 99.7gm Contravention to regulation no. 2.2.1.(3), 2.3.1(1)(5) Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011, Ingredient- Present, Fssai Lic. No.- 10012064000103.

Opinion:- The sample of Desi Ghee (Madhu) Bearing code no. and serial no. AM-1227 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is misbranded food. The sample is misbranded food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1227** घी मधु ब्राण्ड (**Ghee Madhu Brand**) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i)** के तहत मिस ब्राण्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती हैं। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थीगण हेमेन्द्र कुमार झंवर पुत्र रमेश चन्द झंवर (विक्रेता/एफ.बी.ओ.)फर्म/मैसर्स श्री राम इंजन पार्ट्स एवं किराणा स्टोर, लाल बाई फूलबाई चौक बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ राज०। स्थाई निवास : क्रय विक्रय के पास चित्तौड़ रोड बैगूं जिला चितौडगढ (राज.)। पिनकोड–312023, अभय कुमार जैन पुत्र श्री भंवरलाल जैन (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स पारस जनरल स्टोर, कटला चौक सदर बाजार बैंगू जिला चित्तौडगढ राज०। स्थायी निवासः–ब्राह्मणों की हाथाई बैंगूं जिला चित्तौडगढ राज०, संजय गांधी पुत्र बृजलाल गांधी नॉमिनी मैसर्स हरियाणा मिल्क फूड्स (जयपुर) जी–26, ग्राउण्ड फ्लोर, सिटी सेन्टर संसार चन्द्र रोड, जयपुर राज०। निवासीः–1255 यूनिवर्सल एनक्लेव, सेक्टर–48 बी, चण्डीगढ। पिनकोड–160047 एवं मैसर्स हरियाणा मिल्क फूड्स (जयपुर) जी–26. ग्राउण्ड फ्लोर, सिटी सेन्टर संसार चन्द्र रोड. जयपुर राज. पिनकोड–302001 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51–52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:00 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-
(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.
(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.
(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या हेमेन्द्र कुमार झंवर पुत्र रमेश चन्द झंवर (विक्रेता/एफ.बी.ओ.)फर्म/मैसर्स श्री राम इंजन पार्ट्स एवं किराणा स्टोर, लाल बाई फूलबाई चौक बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ राज0। स्थाई निवास : क्रय विक्रय के पास चित्तौड़ रोड बैगूं जिला चितौडगढ (राज.)। पिनकोड–312023, अभय कुमार जैन पुत्र श्री भंवरलाल जैन (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स पारस जनरल स्टोर, कटला चौक सदर बाजार बैंगू जिला चित्तौडगढ राज0। स्थायी निवासः–ब्राह्मणों की हाथाई बैंगूं जिला चित्तौडगढ राज0 एवं मैसर्स हरियाणा मिल्क फूड्स (जयपुर) जी–26. ग्राउण्ड फ्लोर, सिटी सेन्टर संसार चन्द्र रोड. जयपुर राज. पिनकोड–302001 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त संख्या 1 श्री हेमेन्द्र कुमार झंवर पुत्र रमेश चन्द झंवर (विक्रेता/एफ.बी.ओ.)फर्म/मैसर्स श्री राम इंजन पार्ट्स एवं किराणा स्टोर, लाल बाई फूलबाई चौक बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ राज0। स्थाई निवास : क्रय विक्रय के पास चित्तौड़ रोड बैगूं जिला चितौडगढ (राज.)। पिनकोड–312023 एवं आभियुक्त संख्या 2 श्री अभय कुमार जैन पुत्र श्री भंवरलाल जैन (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स पारस जनरल स्टोर, कटला चौक सदर बाजार बैंगू जिला चित्तौडगढ राज0। स्थायी निवासः–ब्राह्मणों की हाथाई बैंगूं जिला चित्तौडगढ राज0, प्रत्येक को दस–दस हजार रूपये एवं अभियुक्त संख्या 4 मैसर्स हरियाणा मिल्क फूड्स (जयपुर) जी–26. ग्राउण्ड फ्लोर, सिटी सेन्टर संसार चन्द्र रोड. जयपुर राज. पिनकोड–302001 को 30,000/– रूपये कुल 50,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:00 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **10.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:00 IST
Reason: SelfAttested